कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2734 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून, 18, जून, 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,चकराता ।

विषयः जनपद देहरादून के अन्तर्गत समरजैंस से चिचराड़ गॅाव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.0784 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः **FP/UK/ ROAD / 10805 / 2015**

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या 2588 / 12–1 (1) दिनांक 02–6–2015 द्वारा उक्त प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजते हुए प्रति आपको भी प्रेषित की गई है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के द्वारा ई0डी0एस0 के माध्यम से ऑन लाईन दिनांक 9–6–2015 को प्राप्त हुआ है।

अतः ई0डी0एस0 के माध्यम से उल्लिखित आपत्ति के बिन्दु में आपके द्वारा मार्ग के समरेखण में बाधित वृक्षों के संबंध में अंग्रेजी में भरे जाने वाला भाग–2 प्रपत्र के निर्धारित कॉलमों की सूचना सही कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करें। आपको यह भी अवगत होने का कष्ट करें कि प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में वन भूमि में कोई वृक्ष बाधित नहीं होना सूचित किया गया है तथा नाप भूमि में 26 वृक्ष बाधित होना बताया गया है। इसलिए इस कार्यालय द्वारा वन भूमि में कोई वृक्ष बाधित नहीं होने की सूचना नोडल अधिकारी को प्रेषित की गई है,जिसको आपकी सूचना से विभेद बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर पर अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करवायें।

भवदीय

18/6/15
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

2734 / 12–1 (1)

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता,,अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/6/15
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।